

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 795

3 Kartik, 1938 (S) Ranchi, Wednesday, 25th October, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

25th October, 2017

- **S.O. No. 115 Dated- 25th October, 2017--** In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
- (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2017.
- (2) This notification shall be deemed to be effective from 13th October, 2017.
- 2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017,
 - (i) in rule 3, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely:"(3A)Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who
 has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has been
 granted certificate of registration under sub-rule (1) of rule 10 may opt to pay tax
 under section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding
 the month in which he files an intimation in **FORM GST CMP-02**, on the common
 portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner,
 on or before the 31st day of March, 2018, and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a
 period of ninety days from the day on which such person commences to pay tax
 under section 10:

Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in **FORM GST TRAN-1** after the statement in **FORM GST ITC-03** has been furnished.";

(ii) after rule 46, the following rule shall be inserted, namely:-

"46A. Invoice-cum-bill of supply.- Notwithstanding anything contained in rule 46 or rule 49 or rule 54, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person, a single "invoice-cum-bill of supply" may be issued for all such supplies.";

- (iii) in rule 54, in sub-rule (2),
 - (a) for the words "tax invoice" the words "consolidated tax invoice" shall be substituted;
 - (b) after the words "by whatever name called", the words "for the supply of services made during a month at the end of the month" shall be inserted;
- (iv) in rule 62, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the registered person who opts to pay tax under section 10 with effect from the first day of a month which is not the first month of a quarter shall furnish the return in **FORM GSTR-4** for that period of the quarter for which he has paid tax under section 10 and shall furnish the returns as applicable to him for the period of the quarter prior to opting to pay tax under section 10.";

(v) in **FORM GST CMP-02**, for the words, figures and brackets "See rule 3(2)", the words, figures, brackets and letter "See rule 3(3) and 3(3A)" shall be substituted;

(vi) in **FORM GSTR-1**, for Table 6, the following shall be substituted, namely:"6. Zero rated supplies and Deemed Exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export		In	Cess		
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate Taxable value		Amt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6A. Exports						I			
6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer									
6C. Deemed exports						l			
									",

(vii) in **FORM GSTR-1A**, for Table 4, the following shall be substituted, namely:-**"4. Zero rated supplies made to SEZ and deemed exports**

GSTIN of recipient	Invoice details				Cess		
	No. Date Value		Value	Rate	Taxable value	Tax	
						amount	
1	2	3	4	5	6	7	8
4A. Supplies made to SEZ unit or SEZ							
Developer							

4B. Deemed exports						
						",

(viii) in **FORM GSTR-4**, after instruction no.9, the following shall be inserted, namely:-

"10. For the tax periods July, 2017to September, 2017 and October, 2017 to December, 2017, serial 4A of Table 4 shall not be furnished."

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,

Principal Secretary-cum Commissioner.

Note:- The principal rules were published in the Jharkhand Gazette vide S.O. No. 28/2017-State Tax, dated the 20^{th} June, 2017 and last amended vide S.O. No. 96 dated 17 October, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 25 अक्टूबर, 2017

एस॰ ओ॰- 115 दिनांक 25 अक्टूबर, 2017-- राज्य सरकार, झारखंड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखंड माल और सेवाकर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) यह अधिसूचना 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।
- 2. झारखंड माल और सेवाकर नियम, 2017 में,-
 - (i) नियम 3 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
 - "(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रिजस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल करता है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में उस दिन, जिसको ऐसा व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना आरंभ करता है, से नब्बे दिन की अविध के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा:

परंतु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।";

(ii) नियम 46 के पश्चात् निम्निलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा,अर्थात् :-- "46क. पूर्ति का बीजक-सह-बिल- नियम 46 या नियम 49 या नियम 54 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी गैररजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय मालों के साथ छूट प्राप्त मालों या सेवाओं की पूर्ति करता है, तो वह ऐसी पूर्तियों के लिए, एकल "पूर्ति का बीजक-सह-बिल" जारी कर सकेगा।";

- (iii) नियम 54 के उपनियम (2) में,-
 - (क) "कर बीजक" शब्दों के स्थान पर, "समेकित कर बीजक" शब्द रखे जाएंगे :
 - (ख) "चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो" शब्दों के पश्चात्, "मास के अंत में मास के दौरान सेवाओं की पूर्ति के लिए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (iv) नियम 62 के उपनियम (1) में निम्निलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उस मास की पहली तारीख से, जो तिमाही का पहला मास नहीं है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, प्ररूप जीएसटीआर-4 में तिमाही की उस अविध के लिए, जिसके लिए उसने धारा 10 के अधीन कर का संदाय किया है विवरणी प्रस्तुत करेगा और वह धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प लेने से पूर्व तिमाही की अविध के लिए उसे यथा लागू विवरणियां प्रस्तुत करेगा।";

- (v) प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में "देखें नियम 3(2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "देखें नियम 3(3) और 3(3क)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
- (vi) **प्ररूप जीएसटीआर-1** में सारणी 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"6 शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का	बीजक के ब्यौरे			परिवहन		एकीकृत कर			उपकर
जीएसटीआईएन				बिल/निर्यात					
				बिल					
	सं०	तारीख	मूल्य	सं०	तारीख	दर	कराधेय	रकम	
							मूल्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6क. निर्यात									
6ख. एसईजेड इ	काइयों	या एस	ाईजेड <i>'</i>	विकासव	र्ता को				
की गई पूर्तियां									
6ग. माना									
गया निर्यात									
									"

(vii) **प्ररूप जीएसटीआर-1क** में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"4 एसईजेड को की गई शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का	बीजक के ब्यौरे			Ų	कीकृत क	उपकर	
जीएसटीआईएन							
	सं०	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय	कर	
					मूल्य	रकम	
1	2 3 4 5 6 7					8	
4क. एसईजेड इ							
पूर्तियां							
4ख. माना गया							
	",						

(viii) प्ररूप जीएसटी आर-4 में, अनुदेश सं० 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः--

"10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर अवधि के लिए सारणी 4 की क्रम सं॰ 4क प्रस्तुत नहीं की जाएगी"।

> [सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/07/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> > के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, झारखण्ड राजपत्र, असाधारण, में एस॰ ओ॰ 28, तारीख 20 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा उनमें अन्तिम बार एस॰ ओ॰ 96 तारीख 17 अक्टूबर, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था।
